

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 75] No. 75] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 2, 2017/माघ 13, 1938

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 2, 2017/MAGHA 13, 1938

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2017

सा.का.िन. 85(अ).—केंद्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 48 के खंड (2ख) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम (अभिकर्ता) नियम, 1972 को सिवाय उन बातों के, जिन्हें ऐसे विखंडन से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, विखंडित करती है।

[फा. सं. एस-11015/01/2012-इंशो.I] एन. श्रीनिवास राव, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February, 2017

G.S.R. 85(E).—In exercise of the power conferred under clause (2B) of section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby rescinds the Life Insurance Corporation of India (Agents) Rule, 1972, except as respects things done or omitted to be done before such recession.

[F.No. S-11015/01/2012-Ins.I]

N. SRINIVASA RAO, Economic Advisor

571 GI/2017